डा0 भीमराव अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याः ACad./425/17
दिनांकः 28/03/2017

प्रबन्धक/सचिव,
प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल,
आगरा रोड़,
हाथरस।

विषयः- प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, आगरा रोड़, हाथरस, उ0प्र0 को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में 60 सीटों के साथ सत्र 2016-2017 (एक वर्ष) की सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,व

आपके पंत्राक संख्या प्रेम रघु/120/2017 दिनांक 30.03.2017 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या सम्बा0 1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013, दिनांक 01 अगस्त, 2014 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 02.09.2014 के अनुपालन में आर्युवेदिक/यूनानी पाठ्यकमों की सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 04.02.2016 द्वारा स्नातक स्तर पर **आर्युवेदिक संकाय** के अर्न्तगत **बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में 60 सीटों** की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित योजना के अर्न्तगत शासन के पत्रांक **संख्या-2369/71-आयुष-1-2014-130/2014 लखनऊ दिनांक 20 जून, 2014** के अनुपालन में निम्न शर्तो के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 (एक वर्ष) की सम्बद्धता के लिये सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः-

1. संस्था, शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0 रेग्यूलेशन के अनुसार निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. **शिक्षकों एवम् प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण की जाय।**

उपरोक्त व्यवस्था उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 से परिवर्तित कर दी गई है, यह व्यवस्था अधिनियम की धारा-5(4) विलोपित किये जाने के अर्न्तगत की गई है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सी0सी0आई0एम0, जनकपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक आयुर्वेदिक सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक (पाठ्यकम एवम् मूल्यांकन), उ0प्र0 लखनऊ।
6. कुलसचिव, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
7. उपकुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय)।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner